क्रम-संख्या—256

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट रेट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, वृहस्पतिवार, 12 सितम्बर, 2002

भाद्रपद 21, शक सम्वत् 1924

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1750/सत्रह-वि-1-1 (क)-28-2002

लखनऊ, 12 सितम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2002 पर दिनांक 11 सितम्बर, 2002 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2002

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2002)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 का आगतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1956 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,—

(एक) खण्ड (क), (ग) और (गग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात :—

"(क) 'गोमांस' का तात्पर्य गाय के मांस से है किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा मांस नहीं है जो सीलबन्द डिब्बों में हो और उसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में आयात किया गया हो;

(ग) 'गोशाला' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के अध रजिस्ट्रीकृत गोशाला से है;

(गग) 'संस्था' का तात्पर्य धारा 6 के अधीन स्थापित किसी संस्था से है'';

(दो) खण्ड (च) निकाल दिया जायेगा।

धारा 3 का प्रतिस्थापन

3–मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

''3–तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी प्रथा या रूढ़ि में किसी प्रतिकूल बात गोवध का प्रतिषेध के होते हुए भी, कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में किसी स्थान पर किसी गाय, सांड़ या बैल का न तो वध करेगा और न वध करवायेगा, न तो उसे वध के लिए प्रस्तुत करेगा और न वध के लिए प्रस्तुत करवायेगा।''

धारा 4 का निकाला जाना

4–मूल अधिनियम की धारा 4 निकाल दी जायेगी।

धारा 5-ध का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 5–क में, उपधारा (2) में शब्द ''पांच रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पांच सौ रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 6 का बढ़ाया जाना

6–मूल अधिनियम की धारा 5–क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

संस्थाओं की स्थापना

''6–राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा आदेश दिये जाने पर किसी भी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा, राज्य सरकार की पूर्वानुमति से ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसे विहित किये जायें, गायों, सांड़ों या बैलों की देखभाल के लिये आवश्यकतानुसार संस्थाएं स्थापित की जायेंगी।

धारा 7 का प्रतिस्थापन

7–मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

गायों आदि का रख-रखाव

''7–(1) कोई व्यक्ति अपनी गाय, सांड़ या बैल को किसी गोशाला या संस्था को अभ्यर्पित कर सकता है जो स्थान की उपलब्धता के अनुसार ऐसी गाय, सांड़ या बैल को स्वीकार करेगा। इस प्रकार से अभ्यर्पित गाय, सांड़ या बैल उस व्यक्ति को वापस नहीं जायेगा।

(2) राज्य सरकार ऐसी गायों, सांड़ों या बैलों की देखभाल के लिए ऐसी अन्य वैकल्पिक और अतिरिक्त व्यवस्था कर सकती है जैसी वह आवश्यक समझे।

(3) कोई गोशाला या कोई संस्था किसी गाय, सांड़ या बैल को पुलिस या अन्य व्यक्ति से अभिरक्षा के लिए स्वीकार कर सकती है जो उसके स्वामी को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर और ऐसी रीति से और ऐसे प्रभार का भुगतान करने पर, जैसा विहित किया जाय, निर्मुक्त किया जा सकता है।''

धारा 8 का प्रतिस्थापन

8–मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

शास्ति

''8–(1) जो कोई धारा 3, धारा 5 या धारा 5-क के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकती है, और जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकता है, दण्डित किया जायेगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करने का प्रयत्न करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबन्धित कारावास की दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकती है, और ऐसे जुर्माने से, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है, दण्डित किया जायेगा।''

धारा 10 का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 10 में, उपधारा (2) में,–

(क) खण्ड (क), (कक), (ख) और (ग) निकाल दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे :–

''(घ) गायों, सांड़ों और बैलों का अभ्यर्पण, उनके स्वीकार करने, उनकी अभिरक्षा और उनको निर्मुक्त करने की प्रक्रिया ;

(घघ) गायों, सांड़ों और बैलों को निर्मुक्त करने की निबन्धन और शर्तें।''

आज्ञा से,
ए० बी० शुक्ला,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में गाय और गोवंशीय पशुओं के वध का निषेध करने और उसको रोकने के लिये उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम में बैल और सांड़ के वध को केवल विशिष्ट आयु तक ही निषेद्ध किया गया है। चूंकि राज्य में बैलों और सांड़ों की संख्या निरन्तर कम होती जा रही है अतएव यह विनिश्चिय किया गया कि इन प्रजातियों को बनाए रखने के लिये, उक्त अधिनियम को संशोधित करके इनके वध को पूर्णतः निषिद्ध किया जाय।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2002 को तदनुसार पुरःस्थापित किया जाता है।